राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0

जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षैत्र, जयपुर

मुद्रणालय को वित्तीय वर्ष 2017–18 (अनुबंध होने के एक वर्ष की अवधि के लिये) की अवधि के लिये सिक्यूरिटी गार्ड व अन्य कामगार आउट सोर्सिग से अनुबंध पर रखने हेतु निविदा सूचना

मुद्रणालय को वर्ष 2017–18 की (अनुबंध होने की तिथि से एक वर्ष तक) अवधि के लिए सिक्यूरिटी गार्ड एवं अन्य कामगार यथा कम्प्यूटर ऑपरेटर कम लिपिक, स्वीपर, बागवान, तकनीकी कार्य हेतु सहायक, मशीन ऑपरेटर (ऑफसैट) एवं प्रिन्टिग हेल्परो की सेवायें मुद्रणालय द्वारा निर्धारित दरों पर आउट सोर्सिग के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत सेवा प्रदायक ऐजेन्सीयो/संस्थाओं जो लेबर ऐक्ट 1970 (रेगुलेशन एण्ड ऐबोलेशन) के अंतर्गत लाईसेन्सधारी एवं संस्था अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो, से आनलाईन ई प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया से दर प्रस्ताव टू बिड्स पद्धति से दिनांक 10.09.2017 को सांय 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। टू बिड पद्धति से बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) मय मूल प्रपत्र, निविदा शर्ते एवं स्वीकृत दरें (परिशिष्ट''अ'' से ''द'') मुद्रणालय की वेबसाईट www.thecooperativepress.com तथा eproc.rajasthan.gov.in व sppp.rajasthan.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है एवं वेबसाईट eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड किया जाना है। **वित्तीय बिड में प्रस्तावित सर्विस चार्ज की दरों को संबंधित दर के कॉलम में प्रतिशत में भरा जाना है।** विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

Bidders who wish to participate in online tenders should have legally valid Digital Certificate as per Information Technology Act 2000 procured through any of the licence certifying Authority of India using which they can sign their electronic bids.

प्राप्त बिड्स के प्रस्तावों में तकनीकी बिड को उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष दिनांक 11.09.2017 को प्रातः 11.00 बजे खोला जायेगा। तकनीकी बिड में सफल बोलीदाता की ''वित्तीय बिड'' को ही खोला जायेगा। किसी भी बिड या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुद्रणालय को होगा तथा इस संबंध में मुद्रणालय का निर्णय ही अन्तिम व मान्य होगा। बोलीदाता द्वारा बिड्स प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह होगा कि समस्त शर्ते बोलीदाता को स्वीकार है। ***बिड के साथ दो प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि बिड प्रपत्र में अंकितानुसार डीडी के माध्यम से जमा/किसी अनुसूचित बैंक की गारन्टी, आदि तरीको से जोकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 में वर्णित हैं, द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयुपर के पक्ष में जमा करानी होगी।*** राजस्थान उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को बोली प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति बिड के साथ अपलोड करनी होगी। इस प्रकार की इकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि ***मुद्रणालय में पूर्व वर्णित तरीको से किसी एक द्वारा*** मुद्रणालय के पक्ष में जमा करानी होगी इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। सफल बोलीदाता को सेवाप्रदाय के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को सेवाप्रदाय के मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा लिखित करार (अनुबन्ध) करना होगा।

बिड अनुबंध की वैधता अवधि अनुबंध होने की तिथि से 31.03.2018 तक होगी। मुद्रणालय प्रशासन को अनुबंध अवधि समाप्त होने से पूर्व अनुबंध को खत्म करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी तरह का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

संलग्न : बिड (निविदा) प्रपत्र एवं शर्ते

प्रबन्ध निदेशक

प्रपत्र ''अ''

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0,
जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षैत्र, जयपुर

वर्ष 2017–18 की अवधि के लिये सिक्यूरिटी गार्ड व अन्य कामगार आउट सोर्सिंग से अनुबंध पर रखने हेतु बिड प्रपत्र प्रथम ''तकनीकी बिड''

1. बिड प्रपत्र मूल्य रू. 1000/–
2. बिड सबमिशन समाप्ति की दिनांक 10.09.2017 को सांय 5.00 बजे तक
3. बिड खोलने की दिनांक 11.09.2017 को प्रातः 11.00 बजे
4. बिड का अनुमानित मूल्य 30.00 लाख रू0

---

1. बोलीदाता का नाम व पूर्ण पता...

....

. बोलीदाता फर्म का स्थानीय स्तर पर कार्यालय का पूर्ण पता ....

....फोन नं. ....

...............................ई–मेल ....मोबाइल नं. ....

2. बिड प्राप्तकर्ता प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर

1	बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत 30.00 लाख रू0 का 2% (60,000 रू0)	बिड प्रतिभूति जमा राशि का पूर्ण विवरण
2	बोली प्रतिभूति राशि में लद्यु उद्योग संबंधित छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लद्यु उद्योग संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति बिड के साथ प्रस्तुत है। इस प्रकार की ईकाई बिड्स सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत (15 हजार रूपये) मुद्रणालय में जमा करा दी गयी है।	बिड प्रतिभूति जमा राशि का पूर्ण विवरण ....
3	डिजीटल सिगनेचर सर्टिफिकेट का विवरण	
4	प्रोसेसिंग फीस (MD, RISL) के नाम देय डीडी का विवरण (रूपये एक हजार मात्र)	
5	सेवा प्रदायक का पी. एफ. कार्यालय में पंजीयन क्रमांक एवं वर्ष तथा नवीनतम पी.एफ. चुकता प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है।	
6	सेवा प्रदायक का ई.एस.आई. कार्यालय में पंजीयन क्रमांक एवं वर्ष तथा ई.एस.आई. चुकता का नवीनतम प्रमाण पत्र की	

	छाया प्रति संलग्न है।	
7	सेवा प्रदायक संस्था का सर्विस टैक्स जमा का चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है।	
8	बोलीदाता के मालिक / साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण	
9	विगत तीन वित्तीय वर्षो (वर्ष 2014–15 से 2016–17) का औसत वार्षिक टन ओवर 30.00 लाख रूपये होने के प्रमाण के रूप में तीन वर्षो की ऑडिटेड बैलेंसशीट सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित संलग्न है।	
10	गत तीन वर्षो में से किसी एक वर्ष मे 9.00 लाख की लागत के सिक्यूरिटी गार्ड व अन्य कामगार के कार्य के अनुभव के प्रमाण संबंधी दस्तावेज संलग्न है।	

बोलीदाता के हस्ताक्षर व मोहर

नोट :– तकनीकी निविदा (प्रपत्र'अ') वेबसाईट eproc. rajasthan.gov.in पर सम्बधित दस्तावेजों सहित पूर्णतया भरी हुई PDF Format में Cover 1 में अपलोड करनी होगी।

बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त बिड संख्या .... दिनांक .... के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत एतद् घोषणा करता हूँ कि :–

(1) यह कि मुद्रणालय को प्रस्तुत उक्त बिड्स से सम्बन्धित समस्त प्रकार की व्यवसायिक, तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय मानव संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध हैं।

(2) यह कि मैं/हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करों की अदायगी के लिये बाध्य रहूँगा/रहेंगे।

(3) यह कि मैं/हम किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/हैं और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) यह कि विगत 3 वर्षो में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायाफ्ता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण निर्योग्य किये गये हैं।

(5) यह कि मेरे/हमारे द्वारा बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है और मैं/हम इसकी शर्तो/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/हैं, जिसको मानने के प्रमाण स्वरूप समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर अंकित कर दिये हैं।

(6) यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व बिड्स शर्तो से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते हैं।

दिनांक : ....

स्थान : ....

.

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम..

पद..

पता...

....

..

मो0नं0...

प्रपत्र ''ब''

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0

जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर–302017
फोन नं. 0141–2751417, 2751352

वर्ष 2017–18 की अवधि के लिये सिक्यूरिटी गार्ड व अन्य कामगार आउट सोर्सिग से अनुबंध पर रखने हेतु निविदा प्रपत्र द्वितीय

वित्तीय बिड

1. बोलीदाता का नाम व पूरा पता..

   ....

   ....
2. मुद्रणालय को अनुबंध की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए सिक्यूरिटी गार्ड व अन्य कामगार आउट सोर्सिग से अनुबंध पर रखने हेतु हमारी फर्म द्वारा BOQ में दरें प्रस्तुत है।
3. बिड प्रपत्र के साथ बिड एवं संविदा की जो शर्ते संलग्न है, हमें स्वीकार है।
4. सभी दरें जी.एस.टी. रहित (Without GST) अंकित है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नोट :– वित्तीय बिड (प्रपत्र'ब') वेबसाईट eproc. rajasthan.gov.in पर दिये गये फॉरमेट में Cover 2 में स्वीकृत अथवा कम दरों पर सिक्यूरिटी गार्ड व अन्य कामगार उपलब्ध कराने हेतु सहमति प्रस्ताव प्रस्तावित करना है।

परिशिष्ट 'स'

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर

सिक्यूरिटी गार्ड एवं अन्य कामगार अनुबंध पर रखने हेतु निविदा शर्तें :–

सूचना : बोलीदाता को अपनी दरें भरते समय इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पढना चाहिए। बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढा जावें। किसी प्रकार का पुनर्लेखन नही होना चाहिए। यदि पुनर्लेखन हो तो उस पर लघुहस्ताक्षर अंकित होने चाहिए।

1. वर्ष 2017–18 की (अनुबंध होने की तिथि से एक वर्ष तक) अवधि के लिये सिक्यूरिटी गार्ड एवं अन्य कामगार यथा कम्प्यूटर ऑपरेटर कम लिपिक, स्वीपर, बागवान, तकनीकी कार्य हेतु सहायक, मशीन ऑपरेटर (ऑफसैट) एवं प्रिन्टिग हेल्परो की सेवायें मुद्रणालय द्वारा निर्धारित दरों पर आउट सोर्सिग के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत सेवा प्रदायक ऐजैन्सीयो/संस्थाओं जो लेबर ऐक्ट 1970 (रेगुलेशन एण्ड ऐबोलेशन) के अंतर्गत लाईसेन्सधारी एवं संस्था अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो, से टू बिड पद्धति से बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) आंमत्रित करने हेतु हस्ताक्षरयुक्त वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दिनांक 10.09.2017 को सांय 5.00 बजे तक प्रस्तुत की जावेगी (1) तकनीकी बिड प्रपत्र 'अ' मे बोली प्रतिभूति राशि व अन्य विवरण तथा (2) वित्तीय बिड प्रपत्र 'ब' मे प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। **वित्तीय बिड में सर्विस चार्ज की दरों के कॉलम में प्रस्तावित दरें प्रतिशत में भरा जानी है।**
2. क्रय समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी बिड को दिनांक 11.09.2017 प्रातः 11.00 बजे खोला जायेगा। तकनीकी बिड में योग्य पाये जाने पर ही वित्तीय बिड को खोला जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद मान्य नहीं होगा।
3. विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. बिड केवल उन्ही रजिस्टर्ड फर्मो द्वारा दी जानी चाहिये जो आउट सोर्सिग सेवा प्रदाता/एनजीओ/संस्था/सेंवादाता कम्पनी/सेवा समिति हो जो आउट सोर्सिग की सेवाये उपलब्ध कराता हो।
5. निविदा के साथ बोली प्रतिभूति राशि के रूप में 60,000/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट जमा कराना होगा। बैंक ड्राफ्ट राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय के नाम होगा। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
6. निविदादाता फर्म को निविदा के साथ सेवा प्रदायक संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र, सर्विस टैक्स प्रमाण पत्र, आयकर/वेटकर चुकता प्रमाण पत्र तथा लेबर ऐक्ट 1970 (रेग्यूलेशन एण्ड एबोलिशन) के अंतर्गत लाईसैन्स का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
7. निविदादाता फर्म को ई.एस.आई. एवं पी.एफ. सर्विस टैक्स, सर्विस चार्जेज की दरें अलग–अलग देनी होगी अर्थात ई.एस.आई. एवं पी.एफ., सर्विस टैक्स में नियोक्ता का अंशदान नियोक्ता द्वारा ही वहन किया जावेगा। सफल निविदादाता फर्म को मुद्रणालय में लगाये जाने वाले कार्मिको का पी.एफ., ई.एस.आई., सर्विस टैक्स आदि प्रति माह जमा करवाकर चालान एवं कामगारो को भुगतान की प्राप्ति की प्रति सहित अगले माह के भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
8. निविदादाता फर्म को निविदा में पी.एफ. एवं ई.एस.आई. तथा सर्विस टैक्स के रजिस्ट्रेशन नम्बर भी अंकित करना होगा। इनके अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

9. अनुबंधित सेवाप्रदाता एजेन्सी/संस्था को मुद्रणालय की आवश्यकतानुसार कार्मिक/कामगार उपलब्ध कराने होंगे।
10. अनुमोदित निविदादाता फर्म मुद्रणालय में अनुभवी सिक्यूरिटी गार्ड एवं अन्य कामगार लगाने के लिये बाध्य होगी।
11. निविदादाता फर्म के समस्त कार्मिक संस्था में पूर्ण अनुशासन में रहेंगे तथा मुद्रणालय प्रशासन के निर्देशानुसार कार्य करेंगे एवं निर्देशों की पालना करेंगे तथा कार्यशाला संबंधी जानकारी रखेगें।
12. अनुमोदित निविदादाता फर्म को मुद्रणालय में कार्य की आवश्यकतानुार ईमानदार सुरक्षाकर्मी एवं अन्य कामगार लगाने होंगे। किसी प्रकार की आपराधिक संलिप्तता पाये जाने पर पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी।
13. मुद्रणालय न्यूनतम सर्विस चार्ज की दर वाली निविदा को स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं है तथा उसे किसी भी निविदा या निविदा के किसी भी भाग को उसका कारण बतलाये बिना स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार संस्था को होगा।
14. सफल निविदादाता फर्म को संस्था के पक्ष में एक अनुबंध करना होगा। अनुबंध नहीं करने पर निविदा रद्द कर दी जावेगी तथा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
15. कम्प्यूटर कार्य की योग्यता स्नातक तथा कम्प्यूटर एवं लेखों का ज्ञान तथा कार्य का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा। सहायक मशीन ऑपरेटर एवं प्रिन्टिंग हैल्परों को ऑफसैट प्रिन्टिंग कार्य में 3 वर्ष का पूर्ण अनुभव होना चाहिये।
16. निविदा के साथ सर्विस टैक्स/ई.पी.एफ./ई.एस.आई. अंशदान राशि का नवीनतम चुकता प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
17. निविदा स्वीकृत होने पर नियमानुसार सिक्यूरिटी राशि 1.50 लाख रूपये जमा करानी होगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निविदा के साथ जमा करवाई गई बोली प्रतिभूति राशि रू. 60,000/– समायोजित कर ली जावेगी।
18. मुद्रणालय में पूर्व की जमा बोली प्रतिभूति/सिक्यूरिटी राशि को इस निविदा के साथ नियमानुसार जमा कराई जाने वाली राशि में समायोजन नहीं होगा।
19. अनुमोदित फर्म सप्लाई किये जाने वाले कामगारों की शर्तो, विशिष्ट विवरणों आदि को सावधानीपूर्वक देखकर दरें प्रस्तुत करें। यदि उसे उन शर्तो या विशेष विवरण आदि के अर्थ के बारे में कोई सन्देह होगा तो वह अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे प्रभारी को सन्दर्भित करेगा तथा उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
20. i. फर्म आवंटित आदेश को किसी अन्य ऐजेन्सी को सबलेट नहीं करेगा।
    ii. संस्था को फर्म का निरीक्षण करने तथा जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा।
    iii. निविदादाता को अपने स्थानीय कार्यालय का पूर्ण पता अंकित करना होगा। जहां जाकर निरीक्षण किया जा सके तथा साथ ही उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता भी देना चाहिये, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
    iv. फर्म को जारी कार्य आदेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
    v. सर्विस चार्ज की दरें प्रतिशत में शब्दों और अंकों दोनों में लिखी जानी चाहिए। निविदा में कोई भी अभिवृद्धि (एडीशन) एवं परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिए। कोई भी ओवरराईटिंग नहीं की जानी चाहिए।

vi. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ व अन्त में निविदा एवं अनुबन्ध की समस्त शर्तों को मानने के प्रमाण में हस्ताक्षर करने चाहिए।

vii. निविदा के साथ नियमानुसार 2 प्रतिशत निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के रूप में रू. 60,000/—जमा करानी होगी। इसके बिना निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। बोली प्रतिभूति राशि राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा अथवा नकद जमा करानी होगी। जिस फर्म की निविदा स्वीकार नहीं होगी, उन्हें निविदा की अंतिम स्वीकृति होने से एक माह के भीतर वापस लौटा दी जावेगी एवं जिन निविदाताओं की निविदा स्वीकार की जावेगी उनको कार्य सम्पादन राशि 1.50 लाख रूपये मुद्रणालय में जमा करवानी होगी तथा निविदा के साथ जमा बोली प्रतिभूति राशि का जमानत (सिक्यूरिटी) के रूप में समायोजन कर लिया जावेगा।

viii. सफल निविदादाता को निर्धारित प्रपत्र में एक अनुबन्ध करना होगा तथा संविदा की शर्तो को भली प्रकार से निभाने के लिए नियमानुसार पांच प्रतिशत सिक्यूरिटी के रूप में सिक्यूरिटी राशि जमा करानी होगी जिसको सहमत हुए संविदा का कार्य पूर्ण होने की तारीख से दो माह के बाद विवाद न होने की स्थिति में सिक्यूरिटी राशि लौटा दी जावेगी। ऐसी सिक्यूरिटी राशि पर मुद्रणालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अनुबन्ध को पूरा करने एवं उस पर स्टाम्प आदि का जो व्यय होगा वह निविदादाता को वहन करना पडेगा। मुद्रणालय को निःशुल्क अनुबन्ध की एक स्टाम्प लगी हुई मूल प्रति दी जावेगी। अनुबन्ध के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

ix. फर्म को भुगतान करने में (राशि के प्रेषण) में जो भी अतिरिक्त व्यय होगा वह अनुमोदित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।

x. यदि अनुमोदित फर्म निर्धारित विवरण के अनुसार सिक्यूरिटी गार्ड एवं अन्य कामगार उपलब्ध कराने में असफल हो जाता है या निर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजने में असफल रह जाता है तो मुद्रणालय अन्य प्रकार से व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा जिसमें होने वाली क्षतिपूर्ति राशि की वसूली निविदादाता फर्म से की जावेगी।

xi. मुद्रणालय अनुमोदित फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये गये सिक्यूरिटी गार्ड एवं अन्य कामगारों की शिकायत के सम्बंध में फर्म को लिखित में सात दिवस का नोटिस दे सकता है एवं बाद में उस नोटिस की तामील होने की तारीख से सात दिवस के भीतर अनुमोदित फर्म पालना करने में असफल रहता है, तो ऐसे मामलों में यदि मुद्रणालय उचित समझता है तो उसके लिए उस सुरक्षित धन राशि को रोकना न्यायोचित होगा तथा अन्य व्यवस्था करने के लिये स्वतंत्र होगा जिसमें होने वाले अधिक व्यय की राशि की वसूली फर्म की जमा सिक्यूरिटी राशि में से किया जावेगा।

xii. बिल का भुगतान बिल प्राप्ति के एक माह में किया जावेगा। विवादास्पद मामले में निपटारा होने पर बिल का भुगतान किया जावेगा।

xiii. निविदाकर्ता या उसके प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से निविदा स्वीकृत करने के लिए किये गये किसी भी प्रयास को अयोग्यता की श्रेणी में माना जावेगा। मुद्रणालय न्यूनतम निविदादाता की दर को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं होगा। वह किसी भी निविदा/निविदा के किसी भाग को उसका कारण बतलाये बिना रद्द कर सकता है।

xiv. भुगतान योग्य बिलों पर नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जायेगा।

xv. बिड्स अनुबंध की वैधता अवधि अनुबंध होने की तिथि से एक वर्ष होगी। आवश्यकता होने पर आपसी सहमति से नियमों के तहत अवधि आगे बढ़ाई जावेगी।

xvi. बिड्स स्वीकृत करने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सहकारी मुद्रणालय प्रशासन को होगा।

xvii. बोलीदाता की पहचान हेतु फोटो युक्त आई डी प्रूफ की प्रति संलग्न करना होगा।

xviii. दरो में शब्दों एवं अंको में अंतर होने पर शब्दो वाली दर सही मानी जावेगी।

xix. बिड्स/निविदाओं से उत्पन्न होने वाले सभी विवादो एवं अनुबंध के निर्वाचन से सम्बन्धित सभी विवादों के निपटारे के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत उपापन से सम्बन्धित विवादास्पद प्रकरण के सम्बन्ध में अपील की सुनवाई का अधिकार प्रथम अपील प्राधिकारी मुद्रणालय के प्रशासक/संचालक मंडल एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर में निहित है।

21. निविदादाता फर्म को अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

22. बोलीदाता फर्म :–

i. श्रम विभाग से संबंधित समान सूचनायें/रिकार्ड आदि निविदादाता फर्म को रखने एवं उपलब्ध कराना होगा।

ii. श्रम विभाग के नियमों एवं श्रम विधिक नियमों की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी।

iii. निविदादाता फर्म एवं कार्मिको के मध्य होने वाले किसी भी न्यायिक विवाद के सम्बंध में मुद्रणालय पक्षकार नहीं होगा।

iv. उपलब्ध कराये गये कार्मिको से होने वाले समस्त नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिये फर्म जिम्मेदार होगी।

v. निविदादाता के कार्मिक मुद्रणालय के कार्मिक नहीं होगें।

23. मुद्रणालय को राजस्थान लोक उपापन में पारिदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में दशाये गये नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्यवाही का अधिकार होगा।

24. सशर्त बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।

25. बिना प्रतिफल के प्रस्तुत निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।

प्रबन्ध निदेशक

हमने निविदा की उक्त सभी शर्ते पूर्ण रूप से पढ़ ली है। उक्त सभी शर्ते हमें स्वीकार है।

निविदादाता फर्म के हस्ताक्षर मय मोहर

नाम..

पद..

पता..

....